2- उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-7 की पंक्ति किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 20,000/ - रूपये तथा अधिकतम राशि 75,000/ - रूपये होगी के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाय :- किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रूपये 25,000/ - तथा अधिकतम राशि 1,00,000/ - रूपये होगी।

3- शासनादेश दिनांक 30-08-2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् रहेगी यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,

डा0 बी0 एम0 जोशी,

सचिव।

संलग्नक-6 (iii)

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि रो अनुदान हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

भाग-1

आवेदक द्वारा भरा जायेगा।

1- मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पद नाम :

2- कार्यालय का पता जहॉ मृत्यु के समय वह कार्यरत था :

3- मृत्यु का कारण :

4- मृत्यु की तारीख :

आवेदक के सम्बन्ध के विवरण।

5- आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से सम्बन्ध में :

6- निवास स्थान का पूरा पता :

(क) स्थायी :

(ख) पत्र-व्यवहार का पता :

7- आवेदक के पहचान के चिन्ह :

8- आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय :

तथा परिवार की आर्थिक स्थिति :

9- मृतक द्वारा छोड़ी गयी चल/ अचल सम्पत्ति तथा उससे :
सम्भावित वार्षिक आय

10- मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था :

तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/ स्थिति :

11- उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि :

12- भुगतान का स्थान :

13- मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण :

क्र0सं0	नाम	आयु	मृत कर्मचारी से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			

14- यदि पुत्र एवं पुत्रियां अध्ययनरत हों तो उसके विवरण :-

क्र0सं0	नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम जहाँ अध्ययनरत हो
1.			
2.			

दिनांक 200 ई0 आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं--------पत्नी/ पति/ माता/ पिता/ पुत्र/ पुत्री स्व0 श्री/ श्रीमती--------यह प्रमाणित करता/ करती हूँ कि जो विवरण ऊपर दिये गये है, मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से

आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे स्थायी अथवा अस्थायी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक-----20-- ई0 आवेदक के हस्ताक्षर

भाग–2

कार्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

1- मृत राज्य कर्मचारी का पूरा नाम तथा पदनाम

2- मृत्यु के समय का मूल वेतन

3- सेवा के अवधि वर्ष ----माह ------दिन------

4- स्थायी अथवा अस्थायी

5- मृतक के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि-अंषदायी (कण्ट्रीब्यूटरी) भविष्य निधि में जमा वास्तविक / अनुमानित भुगतान की स्थिति ।

6- मृतक के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना (डिपाजिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स) स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त/ प्राप्य वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति।

7- मृतक के परिवार को प्रस्तावित/ स्वीकृत पारिवारिक पेंशन की धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति

8- मृतक के परिवार को अनुमन्य मृत्यु एवं अधिवर्षता आनुतोषिक की वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उसके भुगतान की स्थिति ।

9- मृतक के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश, अवकाश : के नकदीकरण से प्राप्त/ प्राप्य वास्तविक/ अनुमानित धनराशि तथा उनके भुगतान की स्थिति ।

10- मृतक के परिवार को सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त/ प्राप्य धनराशि व भुगतान की स्थिति ।

11- मृतक के परिवार को यदि वैभागिक परोपकारी कोष से : सहायता स्वीकृत की गई हो या स्वीकृत होने की आशा हो तो उसका पूर्ण विवरण।

12- मृतक ने यदि अपने सेवाकाल के दौरान कोई राजकीय ऋण/ अग्रिम लिया हो तो ब्याज सहित उसकी वसूली की स्थिति

13- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन यदि मृतक के किसी आश्रित को सरकारी सेवा में लिया गया हो उसका पूर्ण विवरण एवं उसकी मासिक परिलब्धियाँ, यदि नहीं, तो क्यों ।

14- प्रस्तावित अनुदान की राशि---------

संस्तुति करने वाले पदाधिकारी की संस्तुति------

दिनांक 20..... संस्तुति करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर और पद नाम

प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक 20..... विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पद नाम

टिप्पणी (क) प्रार्थना-पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम-5 से 10 में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना-पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते भुगतान होने वाले अनुमानित धनराशि का उल्लेख कर दिया।

(ख) यदि तालिका में उपलब्ध स्थान वांछित सूचना के लिए अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जॉय।

भाग–3

(प्रशासनिक विभाग की संस्तुति)

शासन का यह विभाग----------(विभागाध्यक्ष) की संस्तुति को ध्यान में रखते हुए समुचित विचारोपरान्त स्वर्गीय श्री----------के परिवार को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से केवल रूपये----------की आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के औचित्य से सहमत है और तद्नुसार सहायता की संस्तुति करता है।

प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में उनके परिवार को सहायता देने के लिए इस विभाग के अधीन कोई और विभागीय निधि नहीं है। ----------निधि है जिसमें स्वर्गीय श्री----------के परिवार की----------रूपये की सहायता स्वीकृत कर दी गई है/ स्वीकृत किये जाने की सम्भावना है।

( )

प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

----------विभाग

दिनांक .....20..... संस्तुति करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर आदि पदनाम

प्रति हस्ताक्षरित

दिनांक .....20..... विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदनाम

टिप्पणी (क) प्रार्थना-पत्र के प्रत्येक कालम में अपेक्षित सूचना भरी जाय। कालम-5 से 10 में अपेक्षित धनराशि का भुगतान यदि प्रार्थना-पत्र के अग्रसारण के दिनांक तक न हुआ हो तो भुगतान में विलम्ब के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भुगतान होने वाले अनुमानित धनराशि का उल्लेख कर दिया ।

(ख) यदि तालिका गें उपलब्ध रथान वांछित राूचना के लिए अपर्याप्त हो तो वांछित विवरण अलग से संलग्न कर दिया जाय।

(ग) अनावश्यक शब्द काट दिये जॉय ।